

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी (मं.प्र.)

//ज्ञापन//

क्रमांक 2445 /2018
प्रति,

कटनी, दिनांक: 27/09/25

अध्यक्ष,
जिला अधिवक्ता संघ
कटनी

विषय : तहसील कटनी, बड़वारा एवं रीठी में नोटरी के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु
इच्छुक अधिवक्ताओं से आवेदन प्राप्त कर भिजवाये जाने बाबत।

---00---

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ के अंतर्गत कटनी जिले की कटनी (मुड़वारा),
बड़वारा एवं रीठी तहसीलों में नोटरी के रिक्त कुल 05 पदों पर नियुक्ति हेतु म0प्र0शासन
विधि एवं विधार्थ कार्य विभाग को पैनल प्रेषित किया जाना है।

अतः नोटरी की नियुक्ति हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 26.09.
2025 की प्रतिलिपि संलग्न प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को जिला अधिवक्ता संघ
कटनी के विभिन्न सूचना पटलों पर चरप्पा कराते हुये एवं इच्छुक तथा अर्हताधारी आवेदक
अधिवक्ताओं से दो प्रतियों में आवेदन प्राप्त कर अपने आवरण पत्र एवं सूची सहित दिनांक 28.10.
2025 को इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार


(जितेंद्र कुमार शर्मा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कटनी (म.प्र.)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी (म.प्र.)

/// अधिसूचना ///

क्रमांक २५५५ / दो-12-9/09

कटनी, दिनांक २७/०९/२५

नोटरी नियम 1956 के नियम 6 एवं संशोधित नियम 7 (1) के अंतर्गत कटनी जिले की निम्नलिखित तहसीलों में रिक्त नोटरी पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक अधिवक्ताओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

क	तहसील	रिक्त पद
1	कटनी	02
2	बड़वारा	02
3	रीठी	01

नोटरी नियम 1956 के नियम 3 के अनुसार अर्हता रखने वाले अधिवक्तागण, निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन पत्र, सुस्पष्ट शब्दों में भरकर आवश्यक दस्तावेजों की स्वसत्यापित प्रतिलिपि सहित दो प्रतियों में जिला अधिवक्ता संघ कटनी के माध्यम से **नियत तिथि दि. 27.10.2025 को शाम 05:00 बजे** तक अथवा उसके पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।



(जितेंद्र कुमार शर्मा)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कटनी (म.प्र.)

संलग्न : आवेदन का निर्धारित प्रारूप

नोटरी नियुक्ति हेतु आवेदन, प्रारूप-I

{देखें नोटरी (संशोधन) नियम 2001 के नियम 4 का उप नियम 2}

फोटो

1. आवेदक का नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. जन्म की तारीख.....
4. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग के हैं
5. पता (निवास).....पिन.....
टेलीफोन./मोबाईल नं..... फैक्स.....ई-मेल.....
पता (कार्यालय).....पिन.....
टेलीफोन./मोबाईल नं..... फैक्स.....ई-मेल.....
6. शैक्षणिक अर्हतायें (कृपया सत्यापित फोटो प्रतियाँ संलग्न करें)
1-
2-
3-
4-
7. नामांकन क्रमसंख्यांक और तारीख (कृपया सत्यापित फोटो प्रतियाँ संलग्न करें)
.....
8. किस क्षेत्र में व्यवसाय करते हैं :
सिविल पक्ष-.....
दाण्डिक पक्ष-.....
कराधान-.....
राजस्व न्यायालय-.....
9. क्या आयकर निर्धारिती हैं.....

लगातार पृष्ठ...02 पर..

10.(आवेदक का नाम स्पष्ट अक्षरों में) के अभ्यावेदन से निम्नलिखित दर्शित होता है—

1—कि अभ्यावेदक नोटरी अधिनियम 1952 और नोटरी नियम 1956 के नियम 3 के खण्ड (क) के अधीन नोटरी नियुक्त किये जाने का पात्र व्यक्ति है ;

2—कि अभ्यावेदक.....में निवास करता है (यहां स्थानीय क्षेत्र का नाम या न्यायालय का नाम जहां वह व्यवसाय करना चाहता है, का उल्लेख करें) और.....(अवधि का उल्लेख करें) तक की अवधि के लिये निवास करेगा ;

3—कि स्थानीय क्षेत्र में व्यवसाय कर रहे नोटरियों की संख्या वहां की आवश्यकताओं के अनुसार अपर्याप्त है (कथन के आधार संलग्न करें)

4—कि पूर्ववर्ती छह माह के भीतर अभ्यावेदक का कोई आवेदन पहले अस्वीकृत नहीं किया गया है या उसके द्वारा वापिस नहीं लिया गया है ;

अतः आवेदक प्रार्थना करता है कि शासन उसे नोटरी अधिनियम, 1952 और नोटरी नियम 1956 के नियम 3 के खण्ड (क) के अधीन.....(यहां स्थानीय क्षेत्र के नाम का उल्लेख करें) में व्यवसाय करने के लिये नोटरी के रूप में नियुक्त और सम्मिलित करने की कृपा करें।

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर
(आवेदक का नाम)

अभ्यावेदन की कंडिका 10 की उप कंडिका 1, 2, 3 एवं 4 की पुष्टि के सम्बंध में मजिस्ट्रेट, राष्ट्रियकृत बैंक के प्रबंधक, वणिक एवं स्थानीय क्षेत्र के दो प्रमुख निवासियों के प्रतिहस्ताक्षर

क्र.	नाम एवं पद	वृत्तिक पता	विभाग/फर्म/संगठन/ कार्यालय का नाम	प्रतिहस्ताक्षर एवं मुहर
1			मजिस्ट्रेट	
2			बैंक मैनेजर	
3			प्रमुख व्यापारी	
4			स्थानीय निवासी	
5			स्थानीय निवासी	

नोटरी नियुक्ति हेतु आवेदन, प्रारूप-II

{देखें नोटरी (संशोधन) नियम 2001 के नियम 4 के उप नियम 2}

फोटो

1. आवेदक का नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. जन्म की तारीख.....
4. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग के हैं
5. पता (निवास).....पिन.....
टेलीफोन./मोबाईल नं..... फैक्स.....ई-मेल.....
पता (कार्यालय).....पिन.....
टेलीफोन./मोबाईल नं..... फैक्स.....ई-मेल.....
6. शैक्षणिक अर्हतायें (कृपया सत्यापित फोटो प्रतियाँ संलग्न करें)
1-
2-
3-
4-
7. सरकारी सेवा में आने की तारीख.....
8. सेवा निवृत्ति की तारीख.....
9. सेवा निवृत्ति के समय धारित पद.....
10. वह क्षेत्र जहां अभ्यावेदक नोटरी के रूप में व्यवसाय करता चाहता है.....

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पणी :- **प्रारूप-II** में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने वाला कोई व्यक्ति नोटरी नियुक्ति हेतु तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि ऐसी नियुक्ति के लिये आवेदन की तारीख को :-

(क)

(ख) वह केन्द्रिय सरकार के अधीन भारतीय विधिक सेवा का सदस्य ना रहा हो या,

(ग) कम से कम 10 वर्ष के लिये :

(1) वह न्यायिक सेवा का सदस्य न रहा हो या,

(2) केन्द्रिय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन उसने ऐसा पद धारण न किया हो जिसमें अधिवक्ता के रूप में नामांकन के पश्चात विधि के विशेष ज्ञान की आवश्यकता हो या

(3) किसी सशस्त्र बल के जज एडवोकेट जनरल के विभाग या विधि विभाग में उसने कोई पद धारण न किया हो।